अपील 213/16/225

विजयसिंह V/S राज सरकार

तारीख पेशी 358/18	358/18 2016/00358 बनाम 2016/00213 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री भींवा राम चौधरी श्री GA	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
28.12.18	**विजय सिंह बनाम राज0सरकार वगैरह** पत्रावली बहस अपील हेतु पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व अपील में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अपील व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 15.12.2015 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दर्ज रजिस्टरं कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर प्रार्थना पत्र दिनांक 22.01.2016 नियत की गई । अभिभाषक अपीलांट ने उक्त आदेश दिनांक 15.12.2015 की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं। चुँकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण वास्ते जवाब अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 हेतु नियत हैं। उक्त अन्तरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नही है तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। न्यायहित में मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के आदेश दिनांक 14.07.2010 बउनवानी हुकुम सिंह बनाम राज्य सरकार (आर.आर.टी. 2011 पेज 01) के न्यायिक दृष्टात को मध्यनजर रखते हुए एवं पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णित करें। **सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को अभिभाषक अपीलांट के प्रस्तुत कथन एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।** **तत्पश्चात अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। तब तक विवादित आराजी के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखेगें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।**	